

Financial bid for Processing Packing and Palledari different type of work

SL. NO	Job Description	Rate per quintal
.1	Loading, transportation/unloading of seeds and goods from the location under municipal boundary and Central Colony/Thaska campus/ Khairawa godown to Seed processing plant and vice versa.	
2	Shifting of seeds / goods from godown to seed processing plant under same campus i.e, Central Colony/ Thaska campus and vice versa.. (Applicable to the distance of more than 100 feet within one godown)	
3	Direct processing and packing of seeds i.e,feeding of raw seeds to seed plant for grading, packing of seeds in 40 kg size, sealing and stamping. (Rate Applicable on graded seed Qty.)	
4	Direct processing and bulk packing of seeds i.e, feeding of raw seeds to seed plant for grading, bulk packing of seeds in 50/35 kg size, sealing and stamping and stacking. (Rate Applicable on graded seed Qty.)	
5	Putting the graded seeds in the coating machine for coating / treatment and treating the seeds properly as per proper guidance, spreading and drying as required.	
6	Printing of pouches by pouch printing machine for packing seeds (rate per 100 nos)	
7	Packing of seeds into desired size/qty.(As given in a,b,c,d,e) from bulk packed seed (Indirect packing) after treatment i.e, printing of bags, filling and weighing of seeds in the bags, printing and sewing of tags on the bags, sealing, etc. making bundle of empty bags in 50 no. and proper cleaning of packing point.	
a	Making bags or minikits up to (0-2) kg of seed and filling in sacks as required.	
b	Making bags of 4 to 6 kg of seed and filling the bags in sacks as per requirement.	
c	Making bags of 8 to 10 kg of seed and filling the bags in sacks as per requirement.	
d	Making bags of 16 to 40 kg of seeds and filling the bags in sacks as per requirement.	
e	Making pouch packing from 0 to 2 kg of seeds and filling the pouches in sacks / cartoons as required.	
8.	Loading of seeds / fertilizer/ chemicals / other goods into trucks / trolleys etc.	
9.	Unloading seeds / fertilizer / chemicals / other items in trucks / trolleys etc.	
10.	Drying the seeds produced in the Kharif season upto proper moister in the sunlight (include bringing the seeds from the godown to the drying place and vice versa.)	
11	Lot wise sorting, stamping and re-stacking of seeds etc. for revalidation / mini kit packing.	
a	Bags weighing 0 to 2 kg	
b	Bags weighing from 4 kg to 6 kg	
c	Bags weighing 8 kg to 10 kg	
d	Bags weighing from 16 kg to 40 kg	
e	Pouch packing from 0 kg to 2 kg	
12	Re-packing of revalidated seeds i.e, printing, filling, tagging, labeling, sewing, sealing and filling bags into sacks and re-stacking.	
a	Bags weighing 0 to 2 kg	
b	Bags weighing from 4 kg to 6 kg	
c	Bags weighing 8 kg to 10 kg	
d	Bags / bags weighing from 16 kg to 40 kg	
e	Pouch packing from 0 kg to 2 kg	
13	Lot wise segregation of seeds from the stack and re-stacking in same godown.	
14	Sorting of Empty bags / Bardana and making bundles of 50 no. count and proper stacking.(Rate per bundle)	
15	Fumigation of seeds in godowns, from time to time,i.e, placing fumigation tablets, putting cover on seeds, placing soil on cover etc. After fumigation lifting the cover	

	and cleaning the soil etc. (rate per quintal)	
16	Spraying of chemicals with the help of spray gun by the sprayer pump of the farm from time to time (rate per 500 liter tank)	
17	Sewing tags on the Bulk Packed seeds and restacking.	
18	Cleaning of undersize grains with machine and filling ,weighting, sewing of bags.	
19	40 kg cotton filling, weighing and placing in godown (Khairwa godown)	
20	Filling and loading of cotton in farm vehicles and putting them in the godown.	
21	Unloading of harvested seeds at the winnowing center, spreading and drying up to proper moisture.	
22	Cleaning the raw produce by cleaning machine / fan at the winnowing center.	
23	Filling, weighing, labeling, and sewing of raw seeds in 20-50 kg bags (At Khairwa godown)	
24	Filling, labeling, and sewing of raw seeds in 20-50 kg bags.	
25	Cleaning of bags and making bundles of 50 no.with bag cleaning machine	
26	Repairing bags and , making 50-50 no. bundles	

Note:- (i) Contractor has to do by his men with sewing twine or bag closing machine

(ii) The packing material, medicine or other goods should be loaded by the contractor from the Central Colony and brought to the plant.

(iii) The contractor will have to take full care of the maintenance and charging of electric weighing machine and bag closing machine.

(iv) At the time of changing the seed variety, the cleaning of the plant will be done by the labor of the contractor, for which no separate charge will be given.

(v) The waste which will come out during cleaning of the produce at the Winnowing Center under No. 22 the contractor have right to lift the waste after recleaning with his own thresher machine and the grain which will separated during recleaning submitted to farm.

Name and Address _____

Phone No. _____

Bank Account No. _____

PAN No. _____

IFSC Code No _____

**विधायन संयन्त्र सं-08,306,309,व 61 पर विधायन/पल्लेदारी व विपणन व कृषि विभाग
में पल्लेदारी व खलिहानों पर उत्पाद सफाई के कार्य के लिए नियम एवं शर्तें**

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा देने से पूर्व रूपये 100000 /-(एक लाख रूपये) का RTGS / डिमांड ड्राफ्ट **National Seeds Corporation Limited, Hisar** के नाम धरोहर राशि के रूप में नीचे दिये गये कार्यों के लिये फार्म के खंजाची के पास जमा करवाना होगा तभी उसकी निविदा मान्य होगी । कार्य संतोषजनक पूरा होने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी । तथा सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्त होने के सात दिन के अंदर-अंदर रु 200000/-(रु दो लाख) बतौर प्रतिभूति राशि जमा करवाना होगा जो कि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर धरोहर राशि के साथ बिना ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी असफल बोलीदाता की धरोहर राशि RTGS या उसके बैंक खाते में वापिस की जायेगी ।
2. विधायन संयन्त्र सं -08 , 306, 309 व 61 पर रबी 2019-20, ग्रीष्म व खरीफ 2020 की फसलों के लिये विधायन व पल्लेदारी कार्य तथा विपणन व कृषि अनुभाग सैन्ट्रल कालोनी, ठसका व खैरवां पर रबी 2019-20 ग्रीष्म व खरीफ 2020 के लिये पल्लेदारी का कार्य के लिये ठेका होगा । यह ठेका एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक या जब तक किसी अन्य ठेकेदार को ठेका आंबटित नहीं किया जाता लागू रहेगा । ठेका एक वर्ष के लिये आपसी लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है ।
3. कार्यानुसार ठेकेदार को आदमियों की संख्या रखनी होगी । यदि बार-बार कहने पर भी आदमी नहीं बढ़ाये जाते हैं तो फार्म अपने स्तर पर आदमी लगाकर काम करवा लेगा तथा उन आदमियों का भुगतान ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा ।
4. यदि ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है या अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा और यह ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि तथा थोड़े बहुत किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अधुरा छोड़ा हुआ कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार फार्म का जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसकी भरपाई उसी ठेकेदार से की जायेगी। यह शर्तें सभी किये गये कार्य पर लागू होगी ।
5. ठेकेदार को कार्य शुरू करने से पूर्व 100/-रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर समझौता करना होगा तथा वह इन निर्देशों का पालन करेगा ।
6. प्रक्षेत्र के अन्दर ठेकेदार अपने आदमियों से कार्य करवायेगा तथा फार्म के मजदूरों का प्रयोग नहीं करेगा ।
7. संतोषजनक कार्य न करने पर ठेका समाप्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
8. ठेकेदार को हर महीने की 5 तारीख तक काम का बिल ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 के चालान सहित प्रस्तुत करना होगा ।
9. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी व उसकी वसूली ठेकेदार के बिल में से कर ली जायेगी ।
10. ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फार्म की खड़ी फसल व अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी आदि की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा । नुकसान होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल में से की जायेगी ।
11. जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक कार्य लाईसेंस होगा उनकी निविदाओं को ही स्वीकार किया जाएगा । ठेकेदार को श्रमिक कार्य लाईसेंस व पैन न0 की प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स काटा जायेगा ।
12. किस्म बदलने के समय प्लांट की सफाई ठेकेदार के आदमियों द्वारा करना होगा । प्लांट की सफाई के लिये कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

13. विधायन के समय यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं आती है तो साथ ही साथ बीज को दोबारा री-ग्रेडिंग करना होगा जिसका अलग से कोई पैसा देय नहीं होगा।
14. ठेकेदार को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्लांट पर उपस्थित रहना होगा ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में अवगत कराया जा सके।
15. ठेकेदार के पल्लेदार प्रत्येक छोटी, थैलियों को पूरा तोलकर सील लगाकर तथा गिनती करके बड़ी बोरी में भरेगा। ठेकेदार को 1-40 किलो की पैकिंग का वजन सही करना होगा यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और फार्म को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। इसके अलावा ठेकेदार से दोबारा बोरियों को गिनवाकर तथा तौलाई करवाने का कार्य करना पड़ेगा, जिसका कोई भुगतान नहीं होगा।
16. प्लांट की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।
17. किसी भी कार्य के लिये लेबर एक्ट में निर्धारित आय से कम आयु के श्रमिकों को नहीं लगाना होगा। ठेकेदार को लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पता, आयु अपने हाजिरी रजिस्टर में रखना होगा जिसे जरूरत पड़ने पर श्रम निरीक्षक को प्रस्तुत किया जा सके।
18. विद्युतीय कांटे व बैग क्लोजर का प्रभार लेते व प्रभार देते समय ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त समान सही व चालू हालात में है व उनकी मुरम्मत व रखरखाव एवं समय पर चार्ज करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ताकि तुलाई समय पर व सही हो।
19. ठेकेदार को सभी अभिलेख (Record) रखने होंगे जो कि Factory Act 1948 मजदूर अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक है। इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
20. कार्यानुसार स्वतः ठेकेदार को विपणन विभाग व विभिन्न खण्डों के लिए पल्लेदारी की संख्या रखनी होगी। पल्लेदारी का कार्य जहां भी जिस समय होगा वही कार्य करना होगा व ठेकेदार का प्रतिनिधि या स्वयं ठेकेदार कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा मजदूरों को लाने लेजाने की व्यवस्था वह स्वयं करेगा।
21. पल्लेदारों के राशन आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी इसके लिये फार्म कोई व्यवस्था नहीं करेगा। फार्म केवल जितना भी सम्भव होगा आवास व्यवस्था में सहयोग करेगा।
22. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी व उस हानि की वसूली उसके बिल में से कर ली जायेगी और न किया हुआ कार्य या लापरवाही से हानि होने की स्थिति में नुकसान का जायजा निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा समिति के समक्ष उपस्थिति रहने एवं अपना पक्ष रखने के लिये ठेकेदार को सूचना दी जायेगी तथा नुकसान की वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
23. यदि चट्टा ठीक दशा में नहीं लगाया होगा तो वह पुनः तोड़कर ठीक प्रकार से लगाना होगा। बोरियों का वजन कम या अधिक पाया गया तो समस्त बोरियों का वजन दोबारा करना होगा जिसका फार्म भुगतान नहीं करेगा। सभी चट्टे की उँचाई आवश्यकतानुसार करनी होगी।
24. जो चट्टा बाहर लगेगा उसको पल्लेदारों को ढकना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
25. चट्टों के नीचे करेट आदि लाने लगाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और चट्टा उठने पर करेट को गोदाम से बाहर सही ढंग से रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कार्य न करने की स्थिति में यह कार्य किसी अन्य से करवाया जायेगा और उसके भुगतान की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
26. ठेकेदार के बिलों में से आयकर की वसूली, आयकर अधिनियम के अनुसार की जायेगी। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कर सरकार की तरफ से लगाया जाता है तो वह भी ठेकेदार के बिलों में से काटा जायेगा या ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा कराने की जिम्मेदारी होगी।
27. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है अब कोई देय नहीं है। यदि इस हेतु भुगतान सम्बन्धी शिकायत आती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
28. कोई भी फार्म कर्मचारी या उसका निकट संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेके में भागीदार नहीं होगा।

- 29° विधायन सयन्त्र पर तथा बीज की पैकिंग के बाद खाली बोरियों को 50-50 बोरियों के बंडल बना कर रखना होगा ।
30. ठेकेदार को जो भी पैकिंग का समान दिया जाएगा (बोरी,लेडसील ,टेग ,लेबल ,दवाई ,थैली ,धागा इत्यादि) की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।
31. ठेकेदार को बीज विधायन के समय विधायित बीज की बोरियों पर बीज की किस्म ,केटेगरी , लाट नं०, मात्रा किलो मे आदि जानकारी साफ-साफ लिख कर चट्टा लगाना होगा यदि बिना लिखे चट्टा लगता हे तो चट्टा तोड़ कर पूरी जानकारी लिख कर चट्टा पुनः लगाना होगा जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 32° ठेकेदार द्वारा लिए गए विधायन ,उत्पाद सफाई व पल्लेदारी के कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करने होंगे यदि समय पर कार्य पूरा ना होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी ।
33. फार्म का उत्पादन विपणन अनुभाग के गोदाम से विधायन सयन्त्र पर लाने /शिफ्ट करने के लिए ठेकेदार स्वयं के वाहन का प्रबंध करेगा फार्म इस के लिए कोई वाहन नहीं देगा।
- 34 . उप-महा प्रबन्धक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सारी बोली को अस्वीकार कर सकता है तथा निगम विरुद्ध होने पर नोटिस जारी कर किसी भी समय ठेका रद्द कर सकते हैं ।

आरबीट्रेशन : किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जायेगा । इसके बाबजूद भी विवाद रहने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार आरबीट्रेशन की नियुक्ति, श्रीमान अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के बाद की जायेगी तथा नियुक्त आरबीट्रेशन का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
आरबीट्रेशन व न्याय क्षेत्र हिसार (हरियाणा) होगा ।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

शुद्धि पत्र

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में विधायन सयन्त्र संख्या 8,306,309,व 61 पर विधायन, पल्लेदारी कार्य,व खलिहानों पर उत्पादन सफाई के कार्यों के लिए ई निविदाएँ दिनांक 29 -02-2020 दोपहर 2.30 बजे तक आमंत्रित की गई थी जिसकी अवधि अब दिनांक 04.03.2020 को अपराह्न 2.30 बजे तक कर दी गई है। जो कि उसी दिन साँय 3.00 बजे खोली जाएंगी इच्छुक निविदादाता जो कार्य लेना चाहते हैं कार्यों की दरे आनलाइन, दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं फ़ाईनैसियल) के माध्यम से भेजें । निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि 100000.00 online के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ,हिसार IFSC Code SBIN0005700 के खाता न 33957537351 में जमा करवाएँ। निविदा संबन्धित समस्त जानकारी निगम की वेब साइट www.indiaseeds.com पर पर देखी जा सकती है तथा ई -पोर्टल <http://indiaseeds.eproc.in> निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)